Sakuna Devi Vs. Md. Sohrab @ Sohel

08.07.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की हाजरी है। पुकार पर परिवादिनी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। सुनवाई के क्रम में परिवादिनी की ओर से अभियुक्त के कथित चप्पल और बनियान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। परंतु चप्पल और बनियान अभिलेख पर नही रखा जा सकता। फलतः अभियुक्त के चप्पल और बनियान की रंगीन फोटो प्रति दाखिल की गयी। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 23.03.2026 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षीं कुंदन मांझी, अंटु मांझी एवं चरित्तर मांझी का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी सकुना देवी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 16.3.2026 समय लगभग 11–12 बजे के बीच रात्रि में उसका पति अपनी भगीनी के तिलक से वापस आया सभी कुटुम्ब के लोग सोने के लिये गये, इसी बीच वह पेशाब करने के लिये अपने घर से दक्षिण तरफ गयी तो अचानक मो0 सोहेब उर्फ सोहेल ने उसका हाथ पकड़ कर उसे खींचने लगा। विरोध करने पर उसका गला पकड़ कर दबाने लगा एवं लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगा एवं कहा कि हल्ला करोगी तो जान से मार देगें। बुरी नियत से उसका स्तन पकड़ने लगा और जमीन पर गिरा कर बलात्कार करने का कोशिश करने लगा। चिल्लाने पर उसका पति एवं गवाहन दौड़कर आये। **अभियुक्त सोहराब गवाहन को देखकर भागना चाहा तो उसने गंजी पकड़ ली। वह गंजी खोलकर भाग गया और चप्पल भी छोड़ दिया।** सुबह जब उसका पति गवाहन के साथ अभियुक्त के घर पर शिकायत करने गया तो उसकी मां बोली कि पंचायती कर लो। लेकिन बाद में उसकी मां पंचायती से इंकार की।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षीं कुंदन मांझी, अंटु मांझी एवं चरित्तर मांझी का साक्ष्य करवाया है। परिवादी ने अपने

सशपथ बयान (S.A.) में कथन किया है कि **मो0 सोहराब उर्फ सोहेल ने उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर खींचने लगा। जब वह चिल्लाने की कोशिश की तो गला दबाने लगा और बोला कि चिल्लाओगी तो जान से मार देगें और उसका स्तन दबाने लगा।** न्यायायल द्वारा पूछने पर कथन किया है कि वह गंजी और चप्पल न्यायालय में दाखिल करेगी। जांच साक्षी संख्या 1, ने अपने जांच साक्ष्य में साररूप से **मो0 साहेराब उसकी पत्नी से हाथा–पाई कर रहा था, वह दौड़ा तो वह भाग गया।** जांच साक्षी संख्या 2 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि सोहराब मिया ने **उसकी पुतोह का गर्दन पकड़ लिया और बोला कि हल्ला करोगी तो जान से मार देगें। उसकी पुतोह को जमीन पर पटक दिया।** जब वह बाहर निकला तो वह भाग गया। परिवादिनी पकड़ने का प्रयास की तो वह चप्पल छोड़कर भाग गया। जांच साक्षी संख्या 3 ने कथन किया है कि **सकुना देवी के साथ मो0 सोहराब ने हाथापाई कर रहे थे। हल्ला पर दौड़कर गये। भागने के कम में उसकी गंजी सकुना देवी के हाथ में आ गयी थी। स्पष्ट है कि साक्षी ने आज सुनवायी के दौरान अभियुक्त की गंजी और चप्पल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। अतः** मेरे विचार से अभियुक्त मो0 सोहराब उर्फ सोहेल के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 76 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(w) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने का **प्रथम दृष्टया मामला बनता है**। अतः परिवादिनी को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समन की आपेक्षिताएं दाखिल करे।

वाद दिनांक **वास्ते समन की आपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु।।**

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।